


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प-2(ई.सी.218)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2018/डी-1470

दिनांक : 21.2.2018

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 16.02.2018 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	217.1	कार्यकारी समिति की 217वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 217वीं बैठक दिनांक 05.01.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	217.2	कार्यकारी समिति की 217वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 217वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष प्रकट किया गया।	
3.	218.3	प्राधिकरण की आवासीय योजना गोकुल नगर में श्रीमती नीलम पंचौली पत्नी श्री रवि शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या 2 के स्थान पर कार्नर भूखण्ड संख्या 536 का विनिमय किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण की आवासीय योजना गोकुल नगर में श्रीमती नीलम पंचौली पत्नी श्री रवि शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या 2 के स्थान पर कार्नर भूखण्ड संख्या 536 का विनिमय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त (पीआरएन-उत्तर-प्रथम)
4.	218.4	राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 76 का निरस्त आवंटन को बहाल करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 1259 में स्थित भूखण्ड संख्या 76 के लिए देय राशि आवंटी द्वारा एक वर्ष पश्चात परन्तु दो वर्ष पूर्व जमा करवाए जाने के कारण आवेदक द्वारा ब्याज एवं पैनल्टी की राशि जमा	उपायुक्त जोन-8 

प्रमुख,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
5.	218.5	Approval of Contract for "Facility Management services for Maintenance of IT Infrastructure and Provide Programming Professionals for Development of Application Software"	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण में "Facility Management Services for Maintenance of IT Infrastructure and Provide Programming Professionals for Development of Application Software" के लिए एकल निविदा दाता M/s e-Connect Solutions Pvt. Ltd के पक्ष में रूपए 1,39,94,800.00 करोड़ की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई।	सिस्टम एनालिस्ट
6.	218.6	आवास संख्या सी-290 योजना पालडीमीणा के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में	उपायुक्त जोन-10



सचिव,

नक्सूर विकास प्राधिकरण, नयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-290 योजना पालडीमीणा की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
7.	218.7	भूखण्ड संख्या 861 क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर श्रेणी Handicapped के स्थान पर मूर्तिकार श्रेणी में परिवर्तन किये जाने बाबत।	मूर्तिकला विहार योजना के भूखण्ड संख्या 861 क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर में सहवन से मूर्तिकार श्रेणी के स्थान पर handicapped दर्ज होने के कारण विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा उक्त भूखण्ड में आवेदक की श्रेणी को handicapped के स्थान पर मूर्तिकार श्रेणी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12



सचिव,

बक्सर विकास प्राधिकरण, नयगुहा


क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
8.	218.8	आवास संख्या सी-475 योजना पालडीमीणा के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	<p>आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-475 योजना पालडीमीणा की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी</p>	उपायुक्त जोन-10



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
9.	218.9	Regarding external development charges on 25% land parcel under provision 4 of CMJAY-2015	<p>विचार-विमर्श के दौरान सदन को यह अवगत कराया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 4 A (ii) के अन्तर्गत विकासकर्ता को दी जाने वाली 25% भूमि पर विकास शुल्क योजना की आरक्षित दर की 40% लिए जाने के कारण मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने में विकासकर्ताओं द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है।</p> <p>अतः विचार-विमर्श पश्चात मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 4 A (ii) के अन्तर्गत विकासकर्ता को दी जाने वाली 25% भूमि पर विकास शुल्क योजना की आरक्षित दर के 40% के स्थान पर 10% लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।</p>	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
10.	218.10	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा में आवंटित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आवासों में नजराना राशि जमा में विलम्ब के कारण स्वतः निरस्त	आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2	उपायुक्त जोन-8



सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		आवंटनों को बहाल करने की समक्ष स्वीकृति हेतु।	(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के एजेण्डा में उल्लेखित 40 भूखण्डों की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल	

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
11.	218.11	भूखण्ड संख्या ए- 356 योजना पालड़ीमीणा योजना के आवंटन के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या ए-356, योजना पालड़ीमीणा का आवंटन पुनर्वास पर्ची के आधार पर श्रीमती सलमा पत्नि श्री मुस्ताक को किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि वर्तमान में इस क्षेत्र की आरक्षित दर रूपए 6000/- प्रति वर्गमीटर है एवं प्रार्थी श्रीमती सलमा पत्नि श्री मुस्ताक को आवंटन आज की तिथि में किया जा रहा है, अतः श्रीमती सलमा को उक्त भूखण्ड संख्या ए-356 योजना पालड़ीमीणा का आवंटन वर्तमान आरक्षित दर रूपए 6000/- प्रति वर्गमीटर की 25% दर पर किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।	उपायुक्त जोन-10
12.	218.12	श्री संजय शर्मा म्यूजियम एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट का आमेर रोड पर आवंटित भूमि की निर्माण अवधि वर्ष 2021 तक बढ़ाने बाबत।	विचार-विमर्श में उपायुक्त (जोन-2) ने सदन को यह अवगत कराया कि श्री संजय शर्मा संग्रहालय व शोध संस्थान को आवंटित भूमि पर भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कर लिया गया है। वर्तमान में निर्माण अवधि भी दिनांक 30.03.2018 तक पहले से ही बढ़ी हुई है। ट्रस्ट द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना कर ली गई है एवं मौके पर भूमि रिक्त नहीं है। अतः पुनः	उपायुक्त जोन-2




सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			पुनर्ग्रहण राशि ली जाकर निर्माण के लिए समयावधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व में भूखण्ड के लिए एक बार बढ़ाई गई निर्माण अवधि को पुष्टि हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
13.	218.13	Agenda regarding bid rejection for the work of "Construction and development of various roads in Bassi and Kanota area, ZONE-13A JDA, Jaipur."	विचार-विमर्श पश्चात "Construction and development of various roads in Bassi and Kanota area, ZONE-13A JDA, Jaipur." के लिए निविदा पर निर्णय लिए जाने की अवधि 60 दिवस से अधिक होने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेखित निविदा को प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
14.	218.14	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 28 के स्वतः निरस्त आवंटन को बहाल करने बाबत।	आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2 (30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक	उपायुक्त जोन-8



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/ 2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 28 की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।</p>	
15.	218.15	Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of foundation for primary units of (part A-foundation) 10 MLD STP at Goner in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan)	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय) 

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत गोनेर में स्थापित किये जा रहे 10 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु प्राइमरी यूनिट्स (part A-foundation) की आई.आई. टी. दिल्ली वेटैड डिजाइन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	
16.	218.16	Approval of Revised Mechanical General Arrangement Drawing for Row Sewage Pumping Station at 100 MLD & 25 MLD STP's in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 100 एवं 25 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी.के रॉ	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			सीवेज पम्पींग स्टेशन हेतु रिवाईज्ड मैकेनिकल जनरल अरेजमेन्ट ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	
17.	218.17	Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of Primary unit (sub-structure) for 15 MLD STP at Devari in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत देवरी में स्थापित किये जा रहे 15 एम.एल. डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु प्राइमरी यूनिट्स (सब स्ट्रक्चर) की आई.आई.टी. दिल्ली वेटैड डीजाइन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
18.	218.18	Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of admin building columns and footings for 20 MLD STP at Bassi Sitarampura in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बस्सी सीतारामपुरा में स्थापित किये जा रहे 20 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु सी.सी.टी एवं टोनर रूम की आई.आई.टी. दिल्ली वेटैड डिजाइन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>	
19.	218.19	विद्याधर नगर सेक्टर-1 में प्रथम तल (First Floor) एवं भू-तल (Ground Floor) पर निर्मित दुकानों को नीलामी से निस्तारण हेतु बोली प्रारम्भ करने की दरों के पुनर्निर्धारण की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।	विचार-विमर्श पश्चात नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 11(40)नविवि/2016 दिनांक 06.06.2017 के सन्दर्भ में विद्याधर नगर सेक्टर-1 में प्रथम तल (First Floor) एवं भू-तल (Ground Floor) पर निर्मित दुकानों को नीलामी से निस्तारण हेतु बोली प्रारम्भ करने की दर क्रमशः रूपए 1,40,000/- प्रति वर्गमीटर एवं रूपए 3,00,000/- प्रति वर्गमीटर पुनर्निर्धारित किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (वित्त)
20.	218.20	भूखण्ड संख्या ए-228, योजना गिरधारीपुरा के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2 (30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक	उपायुक्त जोन-7



सचिव,


नगर विकास प्राधिकरण, नयापु

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में भूखण्ड संख्या ए-228, योजना गिरधारीपुरा की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।</p>	
21.	218.21	भूखण्ड संख्या बी-16, योजना	आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के	उपायुक्त जोन-7



सचिव,

नक्सल विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		गिरधारीपुरा के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	<p>त्वरित समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना” बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ दिनांक 15.01.2018 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ा दी गई है। आदेश क्रमांक प.2(30)/नविवि /3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./60वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में भूखण्ड संख्या बी-16, योजना गिरधारीपुरा की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>विचार-विमर्श में यह अवगत</p>	

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>कराया गया कि मूल आवंटी श्री महादेव नाथ सपेरा की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती हंगामी देवी एवं पुत्र श्री शिम्भू सपेरा द्वारा इस भूखण्ड का बेचान श्री रामदेव टेलर पुत्र श्री तेजपाल को कर दिया गया था। क्रेता श्री रामदेव टेलर द्वारा इस भूखण्ड के नियमन के लिए आवेदन किया गया है। अतः समिति द्वारा यह निर्देश दिए गए कि उक्त भूखण्ड का नियमन करते समय यह देख लिया जावे कि क्रेता श्री रामदेव टेलर निम्न आय वर्ग सीमा में आते हैं अथवा नहीं। यदि श्री रामदेव टेलर निम्न आय वर्ग सीमा में आते हैं तो उक्त भूखण्ड का नियमन कर उनके नाम हस्तांतरित कर दिया जावे।</p> <p>साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।</p>	
22.	218.22	Approval of Sewer Rising main plan and L Section drawings from intermediate pumping station IPS (Ch 15.3 km) to Bassi STP (Ch 9.264 km) in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation &	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		maintenance (O & M) for a period of 10 years.	अवलोकन के अनुसार, तदनुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	
23.	218.23	Approval of Design and drawings of interceptor chamber at Naya khera Kishanbag Kachi Basti Ch. 8.022 km in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये अवलोकन के अनुसार, तदनुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
24.	218.24	Approval of Interceptor sewer layout plan additional storm drains (D1,D4) at Atish Market transition location in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये अवलोकन के अनुसार, तदनुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
25.	218.25	Approval of Design and drawings of interceptor chamber (IC) at Deasert INN Ch. 8.069 km in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये अवलोकन के अनुसार, तदनुसार	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	
26.	218.26	Approval of Natural storm drain design drawings at A20 (A21L1) Ch. 36.15 km, A21 (A21R) Ch. 39.15km, A23 (A22L) Ch.41.56km in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये अवलोकन के अनुसार, तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
27.	218.27	Approval of drawing for sub drain Manhole plan and L-section at Ch. 13.31 km, ch. 13.920km, ch. 13.990 km & ch. 14.055 km for Reach 3 to 6 in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये अवलोकन के अनुसार, तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
28.	218.28	Approval of Natural storm drain design & drawings at A20 (A21L2) Ch. 38.550 km, A20 (A21L3) Ch. 40.250km, A22 (A22R) Ch.42.650km in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात कार्य की महत्वता एवं समयबद्ध सीमा में कराये जाने की दृष्टि से TPL-SUCG द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग एवं डिजाईन जिसको की आई.आई.टी द्वारा वेट किया जाना शेष है, पीडीकोर द्वारा परीक्षण किये जाने एवं किये गये अवलोकन के अनुसार, तदानुसार निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			प्रदान की गई।	
29.	218.29	Approval of valve schedule for all five STPs in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। सभी पांच एसटीपी हेतु वाल्व शेड्यूल के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
30.	218.30	Approval of design and drawing of drawing of parking shed for all STPs in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। सभी एसटीपी हेतु पार्किंग शेड के	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			डिजाईन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	
31.	218.31	Approval of IIT Roorkee vetted Design Document of Chlorination system of 20 MLD STP at Bassi Sitarampura in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बस्सी सीतारामपुरा में स्थापित किये जा रहे 20 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु क्लोरिनेशन सिस्टम की आई.आई.टी. रुड़की से वेटैड डिजाईन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
32.	218.32	Approval of IIT Roorkee vetted Design Document of Chlorination system of 10 MLD STP at Goner in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			<p>एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत गोनेर में स्थापित किये जा रहे 10 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु क्लोरिनेशन सिस्टम की आई.आई.टी. रुड़की से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>	
33.	218.33	Approval of IIT Roorkee vetted Design Document of Chlorination system of 15 MLD STP at Devari in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	<p>विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र एजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत देवरी में स्थापित किये जा रहे 15 एम.एल. डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु क्लोरिनेशन सिस्टम की आई.आई.टी. रुड़की से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
34.	218.34	Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of primary units (sub-structure) for	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं	निदेशक अभियांत्रिकी




सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी (द्वितीय)
		20 MLD STP at Bassi Sitarampura in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	<p>कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बस्सी सीतारामपुरा में स्थापित किये जा रहे 20 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु प्राइमरी यूनिट्स (सब स्ट्रक्चर) की आई.आई.टी. दिल्ली से वेटैड डीजाइन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>	
35.	218.35	Approval of IIT vetted Design and drawings of primary unit (sub-structure) for 25 MLD STP at Bambala in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	<p>विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p>	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)



क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बम्बाला में स्थापित किये जा रहे 25 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु प्राइमरी यूनिट्स (सब स्ट्रक्चर) की आई.आई.टी. वेटेड डीजाइन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	
36.	218.36	Approval of Storm water drain layout & details for 10, 15, 100 MLD STP in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	<p>विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदनुसार राशि का समायोजन किया जावेगा।</p> <p>एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे 10, 15, 25 एवं 100 एम.एल.डी. क्षमता के एस. टी.पी. हेतु स्टोर्म वाटर ड्रेन की ले आउट एवं डिटेल्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।</p>	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
37.	218.37	Approval of IIT Delhi vetted Design and drawings of sludge dewatering units (Centrifuge Building) for 25 MLD STP at Bambala in the work of Rejuvenation of Amanishah Nallah (Dravyavati River), Jaipur (Rajasthan) Including area development on	विचार विमर्श पश्चात अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) के विकास एवं कायाकल्प कार्य में निविदा अनुसार कुल 170 एम. एल.डी. क्षमता के विभिन्न 8 एस.टी.पी. के स्थान पर भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत कुल	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Turnkey Basis and its operation & maintenance (O & M) for a period of 10 years.	समान शोधन क्षमता 170 एम. एल. डी. के विभिन्न 5 एस.टी.पी. निर्माणाधीन है। 8 एस.टी.पी. से 5 एस.टी.पी. निर्माण में वित्तीय विचलन का आंकलन स्वतन्त्र ऐजेन्सी से कराया जाकर तदानुसार राशि का समायोजन किया जावेगा। एस.टी.पी. कार्यों के अन्तर्गत बम्बाला में स्थापित किये जा रहे 25 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. हेतु स्लज डिवाटरिंग यूनिट्स (सैन्ट्रीफ्यूज बिल्डिंग) की आई.आई.टी. दिल्ली से वेटैड डीजाईन एवं ड्राईंग्स के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।	
38.	218.38	Regarding approval of the tender document including modalities of procurement, terms & condition, technical criteria for selection of venders of operating and managing of the kiosk at food court in wonderland, Ramniwas Bagh, Jaipur	विचार-विमर्श पश्चात "approval of the tender document including modalities of procurement, terms & condition, technical criteria for selection of venders of operating and managing of the kiosk at food court in wonderland, Ramniwas Bagh, Jaipur" के लिए एजेण्डा में उल्लेखानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
39.	218.39	Agenda for post facto approval regarding bid rejection for the work of "Construction of Various road in G.P. Akhepura, ZONE-13A JDA, Jaipur"	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Various road in G.P. Akhepura, ZONE-13A JDA, Jaipur". के लिए निविदा पर निर्णय लिए जाने की अवधि 60 दिवस से अधिक होने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेखित	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)  सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			निविदा को प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	
40.	218.40	प्राधिकरण में उप निदेशक (विधि) के एक पद को संयुक्त निदेशक (विधि) के पद में कमोन्नत किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्राधिकरण में उप निदेशक (विधि) के एक पद को संयुक्त निदेशक (विधि) के पद में कमोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
41.	218.41	Approval of EC regarding recommendations of the Committee constituted for examination of proposal of Tatas for developing "Smart Corridor" under Dravyavati River Rejuvenation Project being carried out by TATA- SUCG Consortium as variation of work under original contract, as change of scope of work and approval for submitting the detailed purchase query quoting items/specifications, to GeM portal for discovering the fair price discovery of the Smart Corridor project thru approved Gol e-marketplace.	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया एवं पूर्ण प्रकरण को स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदित करवाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
42.	218.42	जयपुर विकास प्राधिकरण में संविदा पर लगे हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों की 2 वर्ष पश्चात भी संविदा अवधि आगे बढ़ाये जाने संबंधी जारी आदेशों को Apprise कराये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 27.09.2016 के पश्चात संविदा के आधार पर लगाए गए सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा अवधि दो वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में जारी एजेण्डा में उल्लेखित आदेशों का समिति द्वारा अवलोकन किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
43.	218.43	मसाला चौक, रामनिवास बाग, जयपुर स्थित कियोस्क में एक कियोस्क बर्तनों हेतु आवंटन करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में उल्लेखानुसार व्यवसायी श्री राजुमार टिकर पुत्र श्री शिव शंकर टिकर को कियोस्क आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक



(एच. गुईटे)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 16.02.2018 को अपराह्न 12:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुइटे	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री एस.जेड. शाहिद	विशेषाधिकारी (आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
5.	श्री ए.के. कुमावत	उपनिदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री सुरेश नवल	उपायुक्त (राजस्व)	नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री रामप्रकाश शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (लाईन)	आयुक्तालय, पुलिस	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री दीपक शर्मा	अधिकाधी आभियंता-(सी.डी.-4)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री लाला राम यादव	तहसीलदार (एल.आर.)	जिलाधीश कार्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री कमल किशोर पारीक	महाप्रबंधक	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11.	श्री आर.पी. गुप्ता	वन संरक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री ओ.पी. बुनकर	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री जे.पी. सिंघल	अतिरिक्त मुख्य अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री नवल किशोर बैरवा	उपायुक्त जोन 02	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री सत्य प्रकाश कर्वा	उपायुक्त जोन 07	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री प्रवीण अग्रवाल	उपायुक्त जोन 08	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	उपायुक्त जोन 10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री भागीरथ हावा	उपायुक्त पीआरएन (उत्तर-1)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री मोहन लाल मीणा	अधीक्षण अभियंता-गार्डन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



क. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
22.	श्री निरंजन माथुर	अधीक्षण अभियंता-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री दीपक माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (इनेज-I)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री महेश गोयल	अधिशाषी अभियन्ता (इनेज-II)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री आर.एल. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री जी. एल. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत-11)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री बी.डी. शर्मा	अधिशाषी अभियंता - 13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री देवेश गुप्ता	सहायक अभियंता (स्मार्ट सिटी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री दीपेन्द्र	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.218)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2018/डी- 1470

दिनांक: 21.2.2018

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7	जिला कलक्टर	जिला कलक्टर, जयपुर।
8	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
9	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


 सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- प-2(ई.सी.218)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2018/डी-1478 दिनांक: 23.2.2018

शुद्धि-पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 218वीं बैठक दिनांक 16.02.2018 के एजेण्डा संख्या 218.5, जो कि "Facility Management services for Maintenance of IT Infrastructure and Provide Programming Professionals for Development of Application Software" से सम्बन्धित है, के कार्यवाही विवरण में "M/s e-Connect Solutions Pvt. Ltd के पक्ष में रूपए 1,39,94,800.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई" के स्थान पर सहवन से "M/s e-Connect Solutions Pvt. Ltd के पक्ष में रूपए 1,39,94,800.00 करोड़ की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई" अंकित हो गया है।

अतः एजेण्डा संख्या 218.5 के निर्णय में "M/s e-Connect Solutions Pvt. Ltd के पक्ष में रूपए 1,39,94,800.00 करोड़ की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई" के स्थान पर "M/s e-Connect Solutions Pvt. Ltd के पक्ष में रूपए 1,39,94,800.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई" पढ़ा जावे।

(एच. गुईटे)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर ।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
8. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), जयपुर ।
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण ।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ।
12. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।

13. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण।
14. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण।
15. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण।
16. निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम), जयपुर विकास प्राधिकरण।
17. पुलिस अधीक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण।
18. वन संरक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण।
19. निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण।
20. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी/भूमि/पुर्नवास), जविप्रा।
21. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जयपुर विकास प्राधिकरण।
22. उपायुक्त जोन- जविप्रा।
23. सिस्टम एनालिस्ट
24. विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क), जविप्रा।


(एच. गुईटे)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर